निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 196/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कानाराम पुत्र हरदेव
2. हीरालाल पुत्र हरदेव
3. मु॰ तीज बेवा हरदेव (मृतक)
4. घीसी बेवा मन्ना पुत्र हरदेव
5. रामेश्वर पुत्र मन्ना
6. रामचन्द्र पुत्र मन्ना

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण कस्बा सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र जैसा मृतक
2. श्रीमती भंवरी देवी बेवा हनुमान
3. नारायण लाल पुत्र हनुमान
4. सूरजकरण पुत्र हनुमान
5. बोदूराम पुत्र हनुमान
6. ताराचन्द पुत्र हनुमान

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण कस्बा सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण /वादीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 154/2001 ब उनवानी हनुमान बनाम हरदेव को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री श्याम सिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष प्रकरण संख्या 154/2001 ब उनवानी हनुमान बनाम हरदेव विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द चेजारा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक 02.02.2021 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3. बहस एक पक्षीय प्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी ने बदनियति पूर्वक अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर में वाद संख्या 154/2001 ब उनवानी हनुमान बनाम हरदेव प्रस्तुत किया एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय से मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित करवाये जिसका नम्बर 129/2019 है। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2021 के ज्ञान होने पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर जिला जयपुर के यहा अपील संया 36/2002 पेश की जिसका विधिवत निर्णय दिनांक 30.09.2019 प्रार्थी के हक में निर्णित हुआ तथा प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित विधि अनुसार निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त प्रकरण को येनकेन प्रकारेण विधि के प्रावधानों के विरूद्व व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विपरीत निर्णित करना चाहते है। क्योंकि वादी पक्ष ने पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर ली है। वादी पक्ष पीठासीन अधिकारी से चैम्बर मे अधिकतर समय बैठा रहता है तथा ग्राम में स्पष्ट धमकी प्रार्थीगण को दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी को स्थानीय राजनेता के द्वारा दबाव बना कर अपने प्रभाव मे ले लिया तथा पीठासीन अधिकारी जैसा वादी चाहेगा वैसा ही निर्णय पारित करेंगे। प्रार्थीगण का इस तरह से पूर्ण आभास हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए न्याय हित में आवश्यक है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैने पत्रावली का अवलोकन कर लिया है। प्रकरण वादीगण के हक मे ही डिक्री किया जावेगा। पीठासीन अधिकारी ने वादी से मिल कर विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थीगण के अधिकारों को समाप्त करने की बदनियति से अवैद्य निर्णय व डिक्री वाद मे करना चाहते है जिसका कत्तई कोई हक पीठासीन अधिकारी को नही है एव अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को गैर कानूनी आदेश से रोका जाना विधि सम्मत है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का फौत होना अवगत कराया है किन्तु उनके वारीसान का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में होगा। यद्यपि उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक

जिला कलक्टर
जयपुर

नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 129/2019 ब उनवानी हनुमान बनाम हरदेव को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

8. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में सुनवाई हेतु दिनांक 23.02.2021 को उपस्थित हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण विभाजन से संबंधित बताया है। इसलिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर यथा सम्भव प्रकरण का तीन माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

02/02/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर